राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 95/2025

दायरा तिथि : 20/06/2025

निर्णय :– 07-05-2026

खींवणी देवी बनाम गंगाराम आदि

राजस्व वाद

1. खीवणी देवी पत्नी भूराराम उम्र वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

– वादीनी

बनाम

1 गंगाराम पुत्र भोमाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

2 रेवन्तराम पुत्र सुखाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

3 हीराराम पुत्र सुखाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

4 केसर देवी पत्नी स्व. दूलाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

5 रूपा पुत्री स्व. दूलाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त

6 परमा पुत्री स्व. दूलाराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

7 मंजू देवी पत्नी स्व. रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

8 गोपाल पुत्र स्व. रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

9 सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

10 संतोष पुत्री स्व. रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

11 गोविन्द पुत्र स्व. रामूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नी स्व. रामूराम उम्र वयस्क जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर हाल निवासी कोडासर रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

12 श्रीमान् शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बीदासर

13 श्रीमान् शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर

14 श्रीमान् शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास

15 श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, बीदासर (चूरू)

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी विभाजन

उपस्थित :–

1. रघुवीर भामू, एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरान खसरा नम्बर 110 तादादी 5.9817 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 2.9087 कुल दो खसरान कुल तादादी 8.8904 वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादगत खेत खसरान की भुमि संयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत हैं। वादगत खेत खसरान की भूमि में वादीनी का 18439551/62499512 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। वादगत खेत खसरा भूमि के सहखातेदार दुलाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारीसानों में से दुलाराम के पुत्र रामूराम भी फौत हो चुका है। स्व. दुलाराम व स्व. रामूराम के विधिक वारिसानों को प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 11 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है, वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादगत खेत खसरान की भूमि का मौखिक रूप से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

विभाजन किया हुआ है लेकिन उक्त खेत खसरान भुमि का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त खेत खसरान की भूमि अविभाजित एवं संयुक्त खातेदारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जब तक उक्त खेत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसमें वादीनी का 18439551/62499512 हिस्सा अविभाजित स्थित है। जिसका वादीनी अपने खातेदारी हिस्से के अनुसार वादगत खेत खसरान में अपने मौखिक विभाजन के आधार पर खसरा संख्या 110 में कटाणी रास्ता के चिपता उतर–पश्चिमी तरफ व खसरा संख्या 124 में कटाणी रास्ता के चिपता दक्षिणी–पश्चिमी तरफ की भूमि पर कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग करती आ रही है, इसलिए वादीनी अपनी भूमि का अलग से विभाजन कर सीमा कायम करवाने व अलग लगान कायम करवाने व उसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार रखती है। आदि–आदि वाद–पत्र पेश किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं वादीनी के सशपथ बयानों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26/02/2026 को प्रारम्भिक आदेश फरमाया जाकर उपरोक्त खसरों का तहसीलदार बीदासर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेश जारी कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

प्रारम्भिक डिक्री के आदेश के मुताबिक तहसीलदार बीदासर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 27/03/2026 को इस न्यायालय में पेश किया, जिस पर पक्षों को सुना गया। उभय पक्षकारान आपस में सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार हमारा विभाजन का आदेश प्रदान किया जावे।

पक्षकारों की बहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27/03/2026 का अवलोकन किया गया, जिसके मुताबिक वादगत खेत खसरान खसरा नम्बर 110 तादादी 5.9817 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 124 तादादी 2.9087 कुल दो खसरान कुल तादादी 8.8904 वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादीनी का 18439551/62499512 हिस्सा की खातेदारी खेत खसरा संख्या 110 मिन 1.4153 हेक्टेयर खसरा के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता के चिपता उतरी ओर व खेत खसरा संख्या 124 मिन 1.2077 हेक्टेयर खसरा के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता के चिपता दक्षिणी तरफ की वादीनी के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार वादीनी का वाद स्वीकार कर वादीनी की खातेदारी वादीनी अकेले के अलग खातेदारी दर्ज कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अलग लगान कायम किया जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगण की मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के हिस्सा अनुसार खातेदारी संयुक्त रखते हुए उनकी संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।, इस प्रकार वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

निर्णय

वादीनी का वाद अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादगत खेत खसरा संख्या 110 तादादी 5.9817 हेक्टेयर व खसरा संख्या 2.9087 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम दूंकर में वादीनी खींवणी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर का हिस्सा 18439551/62499512 है। वादीनी के हिस्सा–पांति खेत खसरा संख्या 110 मिन 1.4153 हेक्टेयर रास्ता के उतरी तरफ भूमि के नक्शा में पश्चिमी तरफ की व खसरा संख्या 124 मिन 1. 2077 हेक्टेयर रास्ता के दक्षिण तरफ चिपता खेत के नक्शा में पश्चिम उतरी तरफ की वादीनी के नाम अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे, शेष खातेदारों की खातेदारी संयुक्त दर्ज रहे, वित्तीय संस्थानों का रहन मुताबिक वर्तमान रेकॉर्ड में दर्ज रहे, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस आदेश व डिक्री का भगा रहेगा, अन्तिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे, खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 7/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर (चूरू)